'अप्प दीपो भव'

वॉयस ऑफ बुद्धा

Postal Reg. No.-DL(ND)-11/6144/2013-15
WPP Licence No.- U(C)-101/2013-15
R.N.I. No. 68180/98

Date of Publication : 15.05.2015
Date of Posting on concessional rate :
2-3 & 16-17 of each fortnight

मूल्य : पाँच रूपये

प्रेषक : डॉ0 उदित राज (राम राज) चेयरमैन – जस्टिस पब्लिकेशंस, टी–22, अतुल ग्रोव रोड, क्लॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001, फोन : 23354841–42
Website : www.uditraj.com E-mail: dr.uditraj@gmail.com

● वर्ष : 18 ● अंक 12 ● पाक्षिक ● द्विभाषी ● कुल पृष्ठ संख्या 8 ● 1 से 15 मई, 2015

अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध पूर्णिमा दिवस समारोह को प्रधानमंत्री ने सम्बोधित किया

परिसंघ व लॉर्ड बुद्धा क्लब की भागीदारी सबसे अधिक

नई दिल्ली, 4 मई, 2015 अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध पूर्णिमा दिवस समारोह 4 मई, 2015 को तालकटोरा स्टेडियम, नई दिल्ली में 9 बजे से आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य आयोजक गृहराज्य मंत्री, श्री किरन रिजीजू, सांसद एवं अजा/जजा परिसंघ व लॉर्ड बुद्धा क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष, डॉ. उदित राज, भंते लामा लोबसंग थे। भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के सहयोग से अपनी तरह का यह पहला कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें इस मंत्रालय के मंत्री श्री महेश चन्द शर्मा भी विशिष्टि अतिथ के रूप में उपस्थित थे। इस कार्यक्रम को देश के प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी ने संबोधित किया। सांसद, रामदास आठवले भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे।

डॉ. उदित राज के नेतृत्व में अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनो का अखिल भारतीय परिसंघ व लॉर्ड बुद्धा क्लब के हजारों साथी प्रातः 8 बजे से ही तालकटोरा स्टेडियम में एकत्रित होना शुरु हो गए और जितनी संख्या कार्यकम में अन्य संगठनों व सहयोगियों के समर्थकों की थी, उससे दो गुनी संख्या परिसंघ व लॉर्ड क्लब के साथियों की थी। 9 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होनी थी लेकिन उससे पहले ही तालकटोरा स्टेडियम भर गया और हजारों लोगों को बाहर लगे पंडाल में खड़े होना पड़ा। भारी भीड़ के कारण बहुत से साथी स्टेडियम के अंदर भी नहीं पहुंच सके।

लगभग 11 बजे प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी का कार्यक्रम स्थल पर आगमन हुआ और उन्होंने भगवान बुद्ध की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उसके बाद नेपाल और भारत के कुछ भागों में भूकंप से आयी भारी तबाही में मारे गए लोगों के लिए कुछ क्षणों का मौन रखा गया।

समारोह को सम्बोधित करते हुए डॉ. उदित राज जी ने कहा कि पहली बार भारत सरकार गौतम बुद्ध की जयंती मना रही है। इसके पहले एक दो प्रयास हुए थे लेकिन उससे यह नहीं कहा जा सकता कि भारत सरकार द्वारा ऐसा किया गया। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री महोदय को बुद्ध के अनुयायियों की ओर से धन्यवाद देता हूं। उन्होंने बताया कि बौद्ध धर्म इसी धरती पर पैदा हुआ और पनपा और अब पुनः लौट रहा है। भगवान गौतम बुद्ध के दर्शन के अनुसार – दुख है, तो दुख का कारण है, कारण का निवारण है उसके लिए अष्टांगिक मार्ग का सुझाव दिया गया है। हमारे समाज में भी दुख है, गरीबी है, असमानता है, बेटियां कम हो रही है, युद्ध है, ये सारे दुख हैं। इनके कारण जरूर हैं, कारणों को खोजा जाए तो उसी में इसका निवारण है। यही गौतम बुद्ध का संदेश था। डॉ. अम्बेडकर पूरे जीवन संघर्ष करते रहे लेकिन जीवन के अंत में बौद्ध धम्म की दीक्षा ली। उन्होंने बौद्धमय भारत की कल्पना की। उन्होंने कहा कि भारत में उंच–नीच जातिवाद, भेदभाव मिटाने की जरूरत है और उसके लिए यह एक प्रयास है। यदि यह मिटती है तो हमारा देश सशक्त राष्ट्र बन सकता है, सुपर पावर और खुशहाल बन सकता है। उसके पीछे सोच यही थी न कि किसी जाति विशेष के लिए। उन्होंने दलितों के बारे में ज्यादा कहा

अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध पूर्णिमा दिवस समारोह पर डॉ. उदित राज, सीमा राज एवं परिसंघ के अन्य पदाधिकारी

(शेष पृष्ठ क्र. 4)

सवालों के दायरे में अमेरिकी प्रभुवर्ग का सामाजिक विवेक

सिनेमा के नोबेल पुरस्कार सरीखे सबसे प्रतिष्ठित ऑस्कर पुरस्कारों की घोषणा गत 22 फरवरी को हो चुकी हैं। जो लोग हॉलीवुड फिल्मों की सिर्फ भव्यता और गुणवत्ता ही नहीं, उसके लोकतान्त्रिक चरित्र के कारण भी उसके दिवाने हैं, उन्हें इस बार के अकादमी फिल्म समारोह से काफी आघात लगा हैं। कारण, इस बार किसी भी अश्वेत को ऑस्कर के किसी भी प्रमुख श्रेणी, विशेषकर अभिनय में पुरस्कार तो दूर नामांकन तक नहीं मिला। बहरहाल ऐसा नहीं कि 2015 में पहली बार ऑस्कर के अभिनय विभाग में सिर्फ गोरों और गोरों को शतप्रतिशत नामांकन मिला,ऐसा 1998 में भी हुआ था,जो अमेरिकी अश्वेतों की क्रोधाग्नि में घी का काम किया था।

अमेरिका की सामाजिक,राजनीतिक और आर्थिक हालात पर पैनी नजर रखनेवाले सभी लोग यह जानते हैं कि बीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध तक अमेरिकी दलितों(कालों)की स्थिति भारत के दलितों जैसी थी। बल्कि बाबा साहेब डॉ.अम्बेडकर के संघर्षो के फलस्वरूप दलितों का तो सरकारी नौकरियों और राजनीती में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो चुका था, पर अश्वेत इन अधिकारों का भोग करने की स्थिति में नहीं थे। उनको इस दारुण स्थिति से उबारने के लिए मार्टिन लूथर किंग (जू) ने शांतिपूर्ण तरीके से सिविल राइट्स मूवमेंट चलाया, जो नागरिक अधिकारों की पहली महानायिका रोजा मैकाले पार्क्स के ऐतिहासिक प्रतिवाद के बाद नस्लीय दंगों का रूप धारण करता गया। इन दंगो पर काबू पाने के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति लिंडन चेक करता है ने कर्नर आयोग की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्र की समृद्धि के लिए शांति को ध्यान में रखकर वंचित नस्लीय समूहों को शक्ति के स्रोतों में शेयर दिलाने का निर्णय लिया। इसके लिए उन्होंने भारत की आरक्षण प्रणाली से आइडिया उधार लेकर विभिन्न नस्लीय समूहों का प्रतिनिधित्व सिर्फ नौकरियों में ही नहीं, उद्योग-व्यापारादि में भी सुनिश्चित करने की नीति अख्तियार किया। उनकी उस विविधता नीति(डाइवर्सिटी पॉलिसी) को उनके बाद के राष्ट्रपतियों- निक्सन, कार्टर ,रीगन - ने भी आगे बढाया। फलस्वरूप कालों,रेड इंडियंस,हिस्पैनिक,एशियन पैसिफिक मूल के लोगों सहित प्रायः 28 प्रतिशत अश्वेतों का धीरे-धीरे नहीं,बड़ी तेजी से सप्लाई, डीलरशिप, ठेकों इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों में ही प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुआ। इससे फिल्म क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा और देखते ही देखते हालीवुड में भी अश्वेतों की भरमार हो गयी।

पिछली सदी सत्तर के दशक में हालीवुड में जो डाइवर्सिटी पॉलिसी लागू हुई उसके फलस्वरूप वहां फिल्मों के विभिन्न विभागों में तेजी से अश्वेतों की संख्या में वृद्धि हुई। इस बात का अंदाजा अमेरिकी लेखक संघ (डब्ल्यूजीए), जो अमेरिकी फिल्मों व टीवी में कार्यरत लेखकों की संख्या का अध्ययन करते रहता है, की 1998 में प्रकाशित रिपोर्ट से लगाया जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार 1992 से 1998 के मध्य संघ के सदस्यों की कुल संख्या में अमेरिकी अल्पसंख्यकों (कालों,रेड इंडियन्स,हिस्पैनिक्स इत्यादि) की संख्या में 61 प्रतिशत की वृद्धि हुई.अमेरिकी राइटर्स गिल्ड की तरह एक्टर्स, डायरेक्टर्स, टेक्नीशियन्स इत्यादि के गिल्डों की रिपोटो से पता चलता है, कि डाइवर्सिटी से वहां के फिल्मों की विभिन्न विधाओं में अश्वेतों की संख्या में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि हुई। इसका सबसे प्रभावी असर अभिनय विभाग में दिखा।1992 से कार्यरत स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड (सैग)की रिपोर्ट बताती है, कि 1999 में फिल्म-टीवी में 21.2 प्रतिशत रोल अश्वेतों को मिले जो 2002 में बढ़कर 22.9 प्रतिशत हो गया जिसकी अंकों में संख्या 11,930 थी। अभिनय विभाग में यह वृद्धि दर लगातार बढ्ती गयी। फिल्मों में डाइवर्सिटी नीति लागू होने के कारण वहां कोई ऐसी फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा पास नहीं हो सकती जिसमें अश्वेत न हों। इसका नतीजा यह हुआ कि धीरे-धीरे अश्वेत वहां छा गए। इस क्रम में ढेरों अश्वेत अभिनेता - अभिनेत्रियों स्टार की बुलंदियों को भी छुआ।

किन्तु हॉलीवुड में जिस मात्रा में की अश्वेत स्टारों की उपस्थिति थी उसका सही प्रतिबिम्बन ऑस्कर पुरस्कारों में नहीं हो रहा था। हालाँकि 1990 के बाद कुछ न कुछ अश्वेतों को हर साल जरुर ऑस्कर के अभिनय विभाग(बेस्ट एक्टर,बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर-बेस्ट ऐक्ट्रेस और बेस्ट सपोर्टिंग ऐक्ट्रेस) में नॉमिनेशन मिलता रहा, पर वह पुरस्कारों के रूप में तब्दील नहीं हो पा रहा था जिसे लेकर अमेरिकी अल्पसंख्यक फिल्म दर्शकों, जिनका कुल दर्शकों में प्रतिशत 30 रहा, में क्षोभ पैदा होने लगा। इससे क्षुब्ध होकर वे समानांतर ऑस्कर समारोहों के आयोजन के साथ तरह-तरह से बहिष्कार व प्रतिवाद जताने लगे। यह अनायास नहीं कि 2002 के 74 वें ऑस्कर समारोह में बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर जीतनेवाली हैले बेरी समानांतर ऑस्कर के लिए सक्रिय रेवरेंड जेसी जैक्सन जैसों के प्रति विशेष आभार जताना नहीं भूलीं। बहरहाल जिस दौर में अश्वेतों में ऑस्कर का बहिष्कार जोर पकड़ने लगा वैसे ही दौर में 1998 में ऑस्कर के अभिनय श्रेणी में किसी भी अश्वेत नॉमिनेशन नहीं मिला। इस घटना ने अश्वेतों के गुस्से में भारी इजाफा कर दिया। वे सभा-सेमिनारों के जरिये ही नहीं, सडकों पर भी उतर कर गोरों पर पक्षपात का आरोप लगाने लगे। इस विरोध ने अमेरिकियों के लोकतान्त्रिक चरित्र पर सवाल खड़ा कर दिया,जिसका सुखद परिणाम 2002 में आया।

2002 में अमेरिका के कोडक थियेटर में मनोरजन के सबसे पॉपुलर विधा फिल्मों के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ा था। उस दिन ऑस्कर समारोह का संचालन करने के लिए मंच पर उतरी थीं महान अश्वेत अभिनेत्री हूपी गोल्डबर्ग। उस दिन हालीवुड की हिस्ट्री के अन्यतम श्रेष्ठ नायक अश्वेत सिडनी पोयटीयर को मिला था ऑस्कर का मानद पुरस्कार। उस दिन जब पोयटीयर अपने सम्पूर्ण जीवन के कार्यो के लिए मानद पुरस्कार लेने मंच की ओर बढ़ रहे थे, कोडक थियेटर में उपस्थित तमाम लोगों ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया था। बहुतों की आँखों में खुशी के आंसू थे। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि 1936 के बर्लिन ओलम्पिक में चार-चार गोल्ड मेडल जीत कर श्वेत चर्म के दम्भ को चूर-चूर करने वाले ग्रेनाईट से भी काले जेसी ओवेन्स के बाद पोयटीयर ऐसे पहले अश्वेत थे जिन्होंने 1964 में 'लिलिज ऑफ द फिल्ड 'के लिए ऑस्कर जीत कर रंगभेद के शिकार पर गर्वित होने का दुर्लभ अवसर सुलभ कराया था। लेकिन बात गोल्डबर्ग के मंच संचालन और पोयटीयर के मानद सम्मान तक सीमित नहीं रही। अभी तो क्लाइमेक्स बाकी था। और समारोह का पर्दा गिरने के पहले जब बेस्ट एक्टर और बेस्ट ऐक्ट्रेस का खिताब क्रमशः डेंजिल वाशिंग्टन और हैले बेरी ने जीता, ऑस्कर में एक नया इतिहास बन गया।

ऑस्कर में एक साथ बेस्ट एक्टर और ऐक्ट्रेस के रूप में दो अश्वेतों का पुरस्कार जीतना ऑस्कर के अबतक के सुदीर्घ इतिहास की पहली व आखरी घटना थी। 2001 के पूर्व तक तक 11अश्वेत अभिनेता बेस्ट एक्टर के लिए नामित हो चुके थे जिनमें एकमात्र महान सिडनी पोयटीयर ने 1963 का ऑस्कर जीता था। उस लम्बे अंतराल के बाद पहली बार अपने साथी अश्वेत अभिनेता विल स्मिथ,जो आज की तारीख में जार्ज क्लूनी, टॉम क्रूज, जॉनी डेप इत्यादि श्वेत सुपर स्टारों को पछाड़ कर सबसे बड़े अभिनेता के सिंहासन पर आरुढ हैं, को शिकस्त देकर डेंजिल नेट्रेनिंग डेज के लिए ऑस्कर जीतकर एक इतिहास रचा था। उसी तरह हैले बेरी से पहले छह अश्वेत अभिनेत्रियों को बेस्ट ऐक्ट्रेस का नॉमिनेशन मिला था, जिसकी शुरुआत 1954 में डोरोथी डैनड्रिज और डायना रोस ने क्रमशः' कर्मेट जोन्स'और 'लेडी सिंग्स द ब्लूज' के जरिये की थी। अर्थात जिस विरल सम्मान का सपना अश्वेत महिलाएं 1954 से देख रहीं उसे थी, हैले बेरी ने लगभग 48 साल बाद'मोंस्टर बाल' के जरिये पूरा किया. ज़ाहिर है, डेंजिल और बेरी ने एक बेमिसाल इतिहास रच दिया था। उसके बाद तो थोड़े ही अंतराल में अश्वेत अभिनेत्री तो नहीं पर, जैमी फॉक्स और फारेस्ट ह्वाइटेकर ने क्रमशः 'रे' (2004) और 'द लास्ट किंग ऑफ स्काटलैंड'(2005) के लिए बेस्ट एक्टर का ऑस्कर जीतकर दुनिया भर के अश्वेतों को गर्वित किया। इसी क्रम में गत वर्ष लुपिता नियोंग ने '12 इयर्स ए स्लेव'के लिए बेस्ट सपोर्टिंग ऐक्ट्रेस का ऑस्कर जीतकर अश्वेतों का मान बढाया था।

आकड़े बताते हैं कि अश्वेतों को ऑस्कर पुरस्कारों के इतिहास में जो कुल 132 नामांकन मिले, उनमें 66 नामांकन ही अभिनय के लिए मिले। और इन 66 में 30 नामांकन ही 2001 से 2014 के मध्य मिले, जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि पिछली सदी के शेष दो वर्षो में अश्वेत फिल्म प्रेमियों ने ऑस्कर का जो विरोध किया उसके फलस्वरूप 2001 से उसमें भी अघोषित डाइवर्सिटी लागू हुई। किन्तु इस बार अभिनय के 20 नामांकन में किसी भी अश्वेत नामित नहीं होने से नवम्बर 2014 के फर्ग्युशन काण्ड के बाद 87वें ऑस्कर पुरस्कारों ने उनके आक्रोश को चरम पर पहुंचा दिया है। इससे अमेरिका की विविधता पर नए सिरे से सवाल खड़ा हो गया है। बहरहाल इस बार ऑस्कर के अभिनय श्रेणी में किसी भी अश्वेत को नामांकन नहीं मिलने से लोगों में भेदभाव का षड्यंत्र साफ़ दिखने लगा है जिसमें इंधन जुटायी है, सिविल राइट्स मुव्हमेंट के नायक मार्टिन लिथर किंग जू.के वोटाधिकार के लिए 1965 के अलबामा मार्च पर बनी फिल्म 'सेल्मा'.

यद्यपि सेल्मा को ऑस्कर में पांच बेस्ट पिक्चर की श्रेणी में नामांकन जरुर मिला पर लोग इस फिल्म की 42 वर्षीया अश्वेत महिला डायरेक्टर आवा डुवार्ने,जो इसके लिए अन्य कई पुरस्कार समारोहों में इनाम जीत चुकी थीं,और मार्टिन लूथर किंग जू.का रोल करने वाले अश्वेत एक्टर डेविड ओएलो से ऑस्कर जीतने के प्रति काफी आशावादी थे। पर इन दोनों को ऑस्कर में अपनी-अपनी श्रेणी में नामांकन ही नहीं मिला। इनके नामांकन न मिलने से ही लोगों को ऑस्कर में भेदभाव की बू आने लगी। इतिहास गवाह है, कि ऑस्कर के पहले घोषित होने वाले गोल्डन ग्लोब में नामित हुए 25 बेस्ट अश्वेत एक्टर्स में 17 और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर्स में नामित 14 में से 12 लोगों को हो ऑस्कर में नामित किया गया है। इसी तरह बेस्ट ऐक्ट्रेस में 8 में से 6 अश्वेत अभिनेत्रियों को ऑस्कर में नामांकन मिला है। डेविड ओएलो ने भी सेल्मा के लिए गोल्डन ग्लोब में बेस्ट एक्टर्स का नामांकन जीतने के साथ ही पूरी दुनिया में वाहवाही लूटी थी। किन्तु बेहतरीन काम के बावजूद उन्हें ऑस्कर में नामांकन तक नहीं मिला। जबकि उन्ही की तरह ब्रितानी श्वेत एक्टर एडी रेडमायने 'द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग' में अपंग वैज्ञानिक स्टीफन हाकिंग का चरित्र निभा कर न सिर्फ नामांकन अर्जित किये बल्कि ऑस्कर की मूर्ति भी हस्तगत कर लिए। इस बार ऑस्कर में नॉमिनेशन का वोटाधिकार अकादमी के 6028 सदस्यों को रहा। इनमें 94 प्रतिशत सदस्य ही श्वेत हैं। इनमें भी 77 प्रतिशत पुरुष हैं तथा इनमें 86 प्रतिशत की औसत आयु 50 से ऊपर है। जब पुरस्कारों की चयन समितियों में प्रभुवर्ग की इतनी विपुल संख्या रहेगी तो जाहिर है, वंचितों को पुरस्कार से वंचित होना ही पड़ेगा। भारत में फिल्म-साहित्यादि के पुरस्कारों की चयन समितियों में सवर्णो की भरमार के कारण वंचित बहुजनों का पुरस्कृत होना बराबर असंभव रहा है। पर अमेरिका में श्वेतों की भरमार के बावजूद अश्वेतों को भारत के दलितों की भाँति पुरस्कार से वंचित नहीं रहना पड़ा तो इसका खास कारण यह है, कि वहां का प्रभुवर्ग सामाजिक विवेक से समृद्ध रहा जिससे उनमें विभिन्न नस्लीय समूहों को विभिन्न क्षेत्रों में योग्य अवसर देने की मानसिकता विकसित हुई। इस कारण ही वहां अश्वेतों को सरकारी और निजी क्षेत्र की नौकरियों, उद्योग-व्यापार के साथ न सिर्फ फिल्मों में अवसर मिला बल्कि नयी सदी में ऑस्कर पुरस्कार भी मिलने लगे। किन्तु 87 वें ऑस्कर पुरस्कारों ने उनके सामाजिक विवेक पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है।

- एच.एल.दुसाध

पाठकों से अपील

'वॉयस ऑफ बुद्धा' के सभी पाठकों से निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक वार्षिक शुल्क/शुल्क जमा नहीं किया है, वे शीघ्र ही बैंक ड्रॉफ्ट द्वारा 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के नाम से टी-22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 को भेजें। शुल्क 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के खाता संख्या 0636000102165381 जो पंजाब नेशनल बैंक की जनपथ ब्रांच में है, सीधे जमा किया जा सकता है। जमा कराने के तुरंत बाद इसकी सूचना ईमेल, दूरभाष या पत्र द्वारा दें। कृपया 'वॉयस ऑफ बुद्धा' के नाम ड्राफ्ट या पैसा न भेजें और मनीआर्डर द्वारा भी शुल्क न भेजें। जिन लोगों के पास 'वॉयस ऑफ बुद्धा' नहीं पहुंच रहा है, वे सदस्यता संख्या सहित लिखें और संबंधित डाकघर से भी सम्पर्क करें। आर्थिक स्थिति दयनीय है, अतः इस आंदोलन को सहयोग देने के लिए खुलकर दान या चंदा दें।

सहयोग राशिः

पांच वर्ष	:	600 रुपए
एक वर्ष	:	150 रुपए

माननीय डॉ. उदित राज द्वारा संसद में उठाए गए मुद्दे

अतारांकित प्रश्न (28 अप्रैल, 2015)

डॉ. उदित राज (उत्तर–पश्चिम दिल्ली) :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क) देश के विभिन्न भागों में रह रहे पाकिस्ताान और अफगानिस्तान से आए हिन्दू/सिक्ख उत्प्रवासियों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र वार संख्या क्या है।

ख) देश में नागरिकता प्रदान करने के लिए लंबित आवेदनों की देश–वार संख्या क्या है।

ग) क्या सरकार का उन उत्प्रवासियों को देश में कार्य करने की अनुमति अभी तक नहीं मिली है। और

घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या है और देश में उनके पुनर्वास के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

उत्तर

गृह मंत्रायल में राज्य मंत्री (श्री किरण रिजीजू)

क) देश में रह रहे पाकिस्तानी और अफगानी प्रवासियों सें संबंधित आंकड़े केन्द्रीय रूप से नही रखे जाते हैं।

ख) डाटाबेस, 1981 के अनुसार, नागरिकता प्रदान के लिए ऑनलइन आवेदनों पर विभिन्न स्तर पर कार्यवाही की जा रही है। इसका ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

ग) और घ) इस मंत्रालय के दिनांक 15.12.2014 के पत्र सं. 28020/58/214–एफ–111 के अनुसार, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को पात्र श्रेणियों के तहत लंबी अवधि के वीजा पर रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों सरकारी/अर्ध–सकारी, स्थानीय निकायों, सहकारी नौकरियों आदि को छोड़कर पूरी तरह से निजी प्रकृति के रोजगार में शामिल होने की अनुमति देने की शक्ति प्रदान की

Zero Hours 05 May, 2015

Dr. Udit Raj (North West Delhi) : Sir, thank you for giving me this opportunity. Recently, the National Sample Survey has published a report which shows that unemplyoment rate is increasing continuously amongestthe people belonging to the Scheduled Caste, Scheduled Tribe and the OBCs. In 2004-05 it was 1.7% and now it hisincreased to 2% Similarly, in case of it was 1.7% and the percentage has increased in respect of the people belonging to the Scheduled Tribes.

I would like to draw the attention of the Hon. Minister for Social Justice and Empoweremnet to his fact. The Government has now started doing well in improving the economic conditions of people. So, the interest of these people should also be looked after so that the increasing unemployment rate amongst these people is halted and they get employmet and they get better positions.

Thank you.

अतारांकित प्रश्न (05 मई, 2015)

डॉ. उदित राज (उत्तर–पश्चिम दिल्ली) :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क) क्या एनसीटी, दिल्ली सहित देश में ट्रैफिक सिग्नलों को विद्युत द्वारा चलाया जा रहा है :

ख) यदि हां, तो एनसीटी दिल्ली में एक महीने में ट्रैफिक सिग्नलों को चलाने के लिए कितना खर्च होता हैं।

ग) क्या सरकार का विद्युत परिरक्षित करने के लिए सौर ऊर्जा के माध्यम से ऐसे ट्रैफिक सिग्नल चलाने का विचार है और

घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)

क) इस संबंध में कोई केन्द्रीयकृत आंकड़े नहीं रखे जाते है क्योंकि सड़क यातायात राज्य का विषय है। तथापि, दिल्ली में, ट्रैफिक सिग्नलों को विद्युत द्वारा संचलित किया जाता है।

ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लगाए गए ट्रैफिक सिग्नलों/ब्लिंकर्स के लिए विद्युत उपभोग पर एक माह में6.5 लाख रू (लगलग) की राशि खर्च होती है।

ग) से घ) सौर ऊर्जा के माध्यम से ट्रैफिक सिग्नल चलाने के लिए ट्रैफिक सिग्नलों संबंधी कोई विशिष्ट स्कीम नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है। न तो गृह मंत्रालय और न ही सड़क यातायात एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में राज्यों को कोई निर्देश दिया है, क्योंकि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य के विषय हैं।

अतारांकित प्रश्न (05 मई, 2015)

डॉ. उदित राज (उत्तर–पश्चिम दिल्ली) :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क) राज्य पुलिस बल का आधुनिकीकरण (एमपीएफ) योजना के तहत राज्यों को धनराशि के आबंटन के लिए किन मानदंडों का पालन किया जा रहा है।

ख) क्या सरकार को एमपीएफ योजना के तहत भ्रष्टाचार/अनियमितताओं और धनराशि के दुर्विनियोग और विपथन के संबंध में रिपोर्टें/ शिकायतें मिली हैं और यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में राज्य–वार ऐसे जांच कुल कितने मामलों की सूचना मिली है।

ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य–वार उसका परिणाम क्या है।

घ) क्या सरकार का राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण और पुलिस कार्मिकों के प्रशिक्षण के साथ–साथ शत प्रतिशत वित्तीय और पर्याप्त तकनीकी सहायता देने के लिए नए प्रयास करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और

ड) उक्त योजना के प्रभावी कार्यान्वयन और एमपीएफ धनराशि के उपयोग में भ्रष्टाचार/अनियमितताओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है ?

उत्तर

गृह मंत्रायल में राज्य मंत्री (श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)

क) राज्य पुलिस बलों की आधुनिकीकरण (एमपीएफ) योजना के तहत प्रत्येक राज्य को निधियों का आबंटन जनसंख्या (35%महत्व), पुलिस बल की स्वीकृत नफरी (25%महत्व), पुलिस थानों की संख्या (15%महत्व) और प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध की घटना (25%महत्व) के अनुमोदित फार्मूले पर आधारित है। इसके अतिरिक्त, योजना के तहत गैर योजनगात और योजनागत दोनों के अंतर्गत वित्त पोषण के उद्देश्य से राज्यों को दो वर्गो, नामत वर्ग क और वर्ग 'ख' में रख गया है। वर्ग 'क' के राज्य अर्थात जमू एवं कश्मीर और सिक्किम सहित 8 पूर्वोतर राज्य 90:10 केन्द्रः राज्य भागीदारी के आधार पर वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।

ख) और ग) एक राज्य द्वारा एम पी एफ स्कीम के तहत निधियों के दुरूपयोग के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है। सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, शिकायकर्ता से इस बात की पुष्टि करने का अनुरोध किया गया था कि उसने वास्तव में शिकायत की है। तथापि, शिकायतकर्ता से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

घ) पुलिस बल की आधुनिकीकरण (एमपीएफ) योजना का मुख्य उद्देश पुलिस अवसंरचना को सुदृढ़ करना है। योजना के तहत आने वाली पुलिस अवसंरचना की कुछ प्रमुख मदों में योजनागत के अन्तर्गत पुलिस भवन, पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के निर्माण सहित पुलिस आवास तथा गैर–योजनागत के अन्तर्गत सचलता, हथियार, प्रशिक्षण संबंधी उपकरण, कम्प्यूटीकरण, विधि–विज्ञान और महानगरीय पुलिस व्यवस्था (एम सी पी) शामिल है। एफ पीएफ योजना के तहत योजनागत घटक वर्ष 2013–14 में शुरू हुआ था। वर्ष 2015–16 के दौरान एफ पी एफ योजना के तहत योजनागत घटक के अन्तर्गत कोई निधि मुहैया नहीं कराई गई है। यह योजना राज्यों को हस्तांतरित कर दी गई है। इसके परिणामस्वरूप, एफ पी एफ योजना के तहत राज्य पुलिस बलों के लिए पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के निर्माण सहित पुलिस भवन और पुलिस आवास की निर्माण संबंधी गतिविधियों के संबंध में कोई केन्द्रीय वित्तपोषण नहीं किया जाएगा। तथापि, एम पी एफ योजना के तहत राज्य पुलिस के लिए सचलता, उपकरण हथियार आदि के संबंध में बजट अनुमान 2015–16 के अन्तर्गत 595 करोड़ रू. का गैर–योजनागत आबंटन किया गया है। भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य के विषय है। यद्यपि केन्द्र सरकार उपर्युक्त योजना के माध्यम से राज्य सराकारों का सहायता प्रदान करती है, तथापि, संबंधित राज्यों में पुलिस बल के आधुनिकीकरण और कानून तथा व्यवस्था बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेवारी राज्य सरकार की है।

ड) एम पी एफ योजना के तहत निधियां जारी करने के लिए राज्य सरकारें द्वारा सामान्य वित्तीय नियमावली के अन्तर्गत पूर्ववर्ती वर्षो में जारी की गई निधियों का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाना होता हैं । इसके अतिरिक्त, गृह मंत्रालय के आंतरिक लेखापरिक्षा विंग द्वारा एम पी एफ योजना के समवर्ती लेखापरिक्षा की प्रणाली है।

अतारांकित प्रश्न (06 मई, 2015)

डॉ. उदित राज (उत्तर–पश्चिम दिल्ली) :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क) क्या सरकार ने यह निर्णय किया है कि जो सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक में विलंब के चलते पदोन्नति पाने से चूक गए उन्हें भी सेवानिवृत्ति पश्चात पदोन्नति का लाभ दिया जाना चाहिए

ख) यदि हां, तो क्या केंद्रीय सचिवालय के उन सेवानिवृत्त अधिकारियों जो वर्ष 1995–1996 और 1997 की चयन ग्रेड प्रवर सूची (एसजीएसएल) में शामिल थे और जो वर्ष 2000,2001 और 2002 के दौरान निदेशक (सीएसएस) पद हेतू उपयुक्तता सूची में शामिल किए जाने के पात्र थे, किंतु जिन्हें विभाग की अक्रियता/विलंबित कारवाई के कारण पदोन्नति नहीं मिल सकी, को डीपीसी–पुनरीक्षा प्रक्रिया करके पदोन्नति का पात्र माना जाएगा

ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा कया है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और

घ) इस संबंध में उक्त डीपीसी बैठक कब तक किए जाने का प्रस्ताव है ?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

क) दिनांक 12.10.1998 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 22011/4/1998 स्थापना (घ) में निहित अनुदेशों में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने कोई परिवर्तन नहीं किया है तथा दिनांक 14.11.2015के का. ज्ञा. सं. 22011/1/2014 स्थापना (घ) के द्वारा इसे दोहरा है। इन अनुदेशों में ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारियों पर विचार किए जाने का प्रावधान किया गया है जो पदोन्नति के लिए वर्ष –वार पैनल तैयार करते समय संबंधित वर्ष/वर्षो के विचार क्षेत्र में आते हैं। तथापि, ऐसे सेवानिवृत्त कार्मिकों को पदोन्नति हेतु कोई अधिकारी नहीं है क्योंकि वे उच्च पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपलब्ध नहीं होते हैं।

ख) से घ) उपर्युक्त के मुद्देनजर प्रश्न ही नहीं उठता ।

शून्य काल के दौरान (6 मई, 2015)

डॉ. उदित राज (उत्तर–पश्चिम दिल्ली) : महोदय, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जो इन्डियन न्यूज़पेपर मैनुफैक्चरर्स है, वे सारी कम्पनियाँ इस समय तबाह होने वाली हैं और तबाह हो भी रही है। उसकी वजह है कि जो न्यूज़पेपर पब्लिशर्स है, इनको बाहर से ज्यूज़पेपर इम्पोर्ट करने की इजाज है और जीरो परसेट डयूटी पर और यह रहा है कि जो अमेरिका से ग्लोबल रेट है 550 यू.एस. डॉलर पर मीट्रिक टन, लेकिन उसमें और इन्वॉइस हो रही है, कही 600, कहीं 700 और दूसरे देशों के द्वारा बिलिंग की जा रही है। ओवर इन्वॉइसिंग का जो पैसे का डिफरेन्स है, उससे मनी लॉन्डरिंग की जा रही है और जो एक्चुअल न्यूज़पेपर यूजर हैं।

जैसे यहाँ के न्यूज़पेपर यूजर्स है, एक्चुअल मैनुफैक्चरर्स है, इनके बीच सेल परचेज़ होने चाहिए। ऐसा न करके ग्रे मार्केट में जा रहा है। जिससे यहाँ के जो न्यूज़पेपर मैनुफैक्चरर्स हैं, वे बरबाद हो रहे हैं, मेक इन इंडिया का कंसैप्ट भी बरबाद हो रहा है। मैं आपके माध्यम से कामर्स मिनिस्ट्री से अनुरोध करना चाहता हूँ कि डयूटी विदड्रा की जाए और एक्चुअल ओनर्स और एक्चुअल न्यूज़पेपर्स को ही सेल किया जाए, एलाड किया जाए।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

(पृष्ठ 1 का शेष)

अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध पूर्णिमा दिवस समारोह पर डॉ. उदित राज, सीमा राज एवं परिसंघ के अन्य पदाधिकारी

तो

एक भारतीय के नाते न कि दलित के नाते आज भारत सरकार के द्वारा बुद्ध का संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है तो इसलिए कि हमारी आर्थिक नीति, डिजिटल इंडिया आदि प्रमोट हो।

कोई धर्म और आचार संहिता अगर जीवन को सुखमय बनाने के काम आए तो उसे अपनाना चाहिए। जो जयंती आज भारत सरकार द्वारा मनायी जा रही है उसके दूरगामी परिणाम होगें। विश्व के जो देश बौद्ध धर्म को मानते हैं उनके साथ हमारे राजनयिक संबंध मजबूत होगें। भारत को बौद्ध धर्म से संबंधित स्थलों को पर्यटन के रूप में विकसित करके विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है। उन्होंने कार्यक्रम को भव्य रूप से आयोजित करने के लिए गृहराज्यमंत्री श्री किरन रिजीजू व भंते लामा लोबसंग को धन्यवाद दिया। अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ व लॉर्ड बुद्धा क्लब के अपने साथियों को इतनी अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आभार व्यक्त किया।

श्री किरन रिजीजू, गृहराज्यमंत्री, ने माननीय प्रधानमंत्री सहित आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत किया और समारोह में शामिल लोगों का धन्यवाद करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के आने से इस बुद्ध पूर्णिमा दिवस समारोह का महत्तव बढ़ा है। उन्होंने कहा कि भारत में प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण करने के बाद ही आपने बौद्ध स्थलों को विकसित करने का जो कदम उठाया है उसकी देश ही नहीं बल्कि विश्व के सभी देशों में इसकी चर्चा हुई है। भारत ने दुनिया को ज्ञान और धर्म का संदेश दिया और इस देश में बुद्ध का संदेश देश और विदेशों तक पहुंचाया है। उन्होने कहा कि पहली बार भारत सरकार के द्वारा 1956 में बोध गया में मनाया गया था। उसके बाद 2550वां महापरिर्वाण दिवस पूरे साल 2006 में मनाया गया और उसका समापन कुशीनगर में किया गया था। अब से प्रयास किया जाएगा कि इस दिवस को एक वार्षिक समारोह के रूप में मनाया जाए।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भगवान बुद्ध का जन्म लुंबनी में हुआ, ज्ञान बोध गया में प्राप्त हुआ और निर्वाण कुशीनगर में। यह एक संयोग है कि एक ही दिन में ये जीवन की तीनों घटनाएं घटीं हैं। उन्होंने कहा कि अपने ही जीवन काल में कोई विचार इतना प्रभावी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता दुनिया के बहुत से विचार प्रवाहों को हम देख लें उस विचारक के जनक के कार्यकाल में न इतना फैला है न प्रभावित हुआ है। बाद में उनके शिष्यों की मदद से फैला होगा, शासन के प्रयास से फैला होगा लेकिन किसी के जीते जी जिसका नाम पूरे विश्व में फैला, वह नाम है गौतम बुद्ध। विश्व के कितने बड़े भूभाग पर यह विचार पहुंच चुका था और जन समान्य की आस्था और श्रद्धा का केन्द्र बन चुका था। उनके दर्शन में कुछ तो बात थी जो इतनी जल्दी दुनिया ने स्वीकार कर लिया। जब तक विचारों के तराजू पर चीजें तोली नहीं जाती तब तक दुनिया अपने आप बुद्ध के विचारों में ज्ञान मार्ग की बात थी तभी तो विश्व ने उसे तोला होगा और अंगीकार किया होगा। उस समय सामाजिक जीवन में भी बुराइयों का अतिरेक था। आशांकाओं का दौर चल राहा था। ऐसे समय में त्याग की चर्चा करना, मर्यादाओं की चर्चा करना, प्रेम और करुणा का संदेश देना और सामाजिक सुधार की बात करना। जिन मुददों की आज भी हम चर्चा करते है भगवान बुद्ध ने ढाई हाजार साल पहले भी इन मुददो को स्पर्ष किया था। उसी समय बुद्ध के दर्शन पर भेंट की गई एक पुस्तक की कुछ पंक्तियों को उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा कि पर कल्याण के बिना भविष्य और परलोक के सपने देखना तो दूर की बात है। इसी जीवन की अर्थसिद्धि भी नहीं हो सकती। मरने के बाद के सुख की बात छोड़ों इस जीवन में भी सुख नहीं मिल सकता। वर्तमान समय में हिंसा अपनी चरम सीमा पर है। विश्व का बहुत बड़ा भूभाग रक्त रंजित है। तो करुणा का संदेश कहां से आएगा। मरने-मारने की इस मानसिकता के बीच प्रेम का संदेश कौन दे पाएगा? वह कौन सी ताक़त है जिसकी बात को दुनिया स्वीकारने को तैयार होगी तो जगह एक ही दिखती है वह है, बुद्ध का दर्शन। इसलिए मानव जाति जिन संकटों से गुजर रहा है, उसके लिए भी विश्व को भी रास्ता दिखाने के लिए एक ही जगह दिखती है। वह है बुद्ध । उन्होंने कहा कि बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर से भी यही मंत्र दुनिया को मिला था। इसलिए जब भी बुद्ध की बात हो तो बुद्धम सरणं गच्छामि, संघम सरणं गच्छामि, धम्मं सरणं गच्छामि । गौतम बुद्ध का दर्शन एकतात्मकता में विश्वास करता है। भगवान बुद्ध ने व्यक्ति के विकास के लिए भी जो मंत्र दिया था। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा कोई संदेश नहीं हो सकता। दुनिया की कितनी भी मैनेजमंट की किताब पढ़ ले, धर्मग्रन्थों को उपर नीचे कर लें लेकिन जब व्यक्ति के विकास की बात आती है तो एक तराजू में ये सारे ग्रन्थ रख दो और एक मे भगवान बुद्ध के ये तीनो मंत्र रख दो , तराजू बुद्ध की तरफ झुकेगी। भगवान बुद्ध का वह मंत्र है – अप्प दीपो भव। इससे उपर व्यक्ति के जीवन के विकास का कोई रास्ता नहीं हो सकता है। भगवान बुद्ध ने अष्टांग की चर्चा की है और मैं मानता हूं कि इस अष्टांग के मार्ग को जाने बिना, पाए बिना – बुद्ध को नहीं पा सकते। भगवान बुद्ध के ये अष्टांग इस प्रकार हैं – सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक आचरण, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयत्न, सम्यक चेतना, सम्यक ज्ञान। ये अष्ट मार्ग हमारे लिए सृजित किया है। दुनिया के 177 देश योगा दिवस को समर्थन करने के लिए आगे आए हैं, यू.एन के इतिहास में इतना भारी समर्थन कभी किसी मुद्दे को नहीं मिला। इतने कम समय में कभी किसी विचार को स्वीकृति नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि मेरा बुद्ध से गहरा नाता रहा है । मेरे गाव में बहुत बड़ा बौद्ध होस्टल था और शिक्षा दीक्षा का काम होता था, इससे भी मैं प्रभावित हुआ। जहां-जहां मैं रहा मेरे आवासीय परिसर में बुद्ध की प्रतिमा जरूर मिलेगी। उन्होंने कहा कि मेरा सपना है तथागत बुद्ध का एक भव्य बौद्ध विहार बने जिसमें बुद्ध के सभी अवशेष रखें जाएं और यह स्थल सभी की प्रेरणा का केन्द्र बने। बुद्ध पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर भगवान बुद्ध के चरणों में बैठने का अवसर मिला, इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूं। नेपाल के भूकंप पीड़ितों को राहत मिले और हुए नुकसान से नेपाल उबर सके ऐसी कामना करता हूं।

भंते लामा लोबसंग ने अंत में सभी का आभार व्यक्त किया।

– सी. एल. मौर्य

अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध पूर्णिमा दिवस समारोह पर डॉ. उदित राज, मीडीया के साथ बात करते हुए।

+++

बंगाल परिसंघ द्वारा अम्बेडकर जयंती मनाई गई

अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के चैयरमेन माननीय डॉ. उदित राज ने पश्चिम बंगाल के एस.सी. एस.टी. व सभी दलित समाज के लोगों को संबोधित करते हुए का कि पूरे देश में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती क्यों मनाई जाती हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों ने सभी दलित समाज को एक रास्ता दिखाया और उसी वजह से जैसे हमारी जिंदगी बदली। अगर बाबा साहेब ने दलितों के लिए संघर्ष नहीं किया होता तो आज भी दलितों की शासन व प्रशासन में कोई भी भागीदारी नहीं होती और दलितों को आरक्षण का कोई भी अधिकार नहीं मिलता। आरक्षण की वजह से मैं कमिशनर बना और आप लोग अधिकारी व कर्मचारी बनें।

आज की व्यवस्था में केवल पंचायत, असेंबली, विधायिका, पार्लियामेंट में अगर दलित पहुंचा तो वह एकमात्र बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की नीति की देन हैं। माननीय डॉ. उदित राज ने पश्चिम बंगाल इकाई के सभी कर्मचारियों–अधिकारियों व अन्य दलित लोगों को संबोधित करते समय बताया कि स्वामी विवेकानंद को भी अछूत माना गया था । जब वह शिकागो से बड़े ही सम्मान के साथ स्वदेश लौट रहे थे। क्योंकि भारत का समाज जातियों में बटा हुआ था और हर जाति का काम/पेशा अलग–अलग हैं। वह वही काम करेगा जो जाति के आधार पर होगा क्योंकि दलित समाज को जातियों में ही बंधक बनाया हुआ था। उससे प्रशासन व शासन से कोई भी लेना–देना नहीं है।

पश्चिम बंगाल में जब अंग्रेजों ने हमला किया तब जातियों को यह अनुभव नहीं हो पाया कि बंगाल हम सब लोगों का है और उसमें केवल एक ही जाति की जिम्मेदारी नहीं है। जिससे देश की रक्षा करनी थी और शासन व प्रशासन की ही जिम्मेदारी थी जबकि सभी जातियों की जिम्मेदारी अलग–अलग काम के आधार पर थी। इसलिए अंग्रेज देश को हराकर पराजित करके देश पर राज्य करते रहे

पश्चिम बंगल में अम्बेडकर जयंती समारोह पर डॉ. उदित राज सम्बोधित करते हुए

क्योंकि पूरा देश जाति प्रणाली(सिस्टम) के आधार पर गुलाम था। इसी प्रकार से अंग्रेज मुस्लिम, तुर्कों को मौका मिला और वह भी देश में राज्य करते रहे। बंगाल में बताया जाता है कि यहां जातियां काम नहीं करतीं। अगर जाति काम नहीं करतीं तो यहां की सरकार का मुख्यमंत्री दलित क्यों नहीं हैं। केवल एकमात्र उच्च जाति से ही मुख्यमंत्री, उप कुलपति आदि पैदा क्यों होते हैं।

जैसा कि मुझे बताया गया कि आज भी पश्चिम बंगाल में केवल 4 प्रतिशत ही आरक्षण है। जबकि यहां दलित 37 प्रतिशत रहते हैं और कोई भी दलित फिल्ममेकर, लेखक, उद्योगपति व अन्य उच्च व्यवसायों पर नहीं हैं। आज पश्चिम बंगाल में दलित समाज से पोलिटब्यूरो के सदस्य क्यों नहीं हैं। जबकि यह आवाज सीपीएम के सबीरदास ने उठाई थी और पोलिटब्यूरो के सदस्य सदैव यह कहते आए कि हमने पश्चिम बंगाल के दलितों के हितों की आवाज उठाई है।

आज टीएमसी (तृणमूल कांग्रेस) सरकार की भी कोई भूमिका दलितों के लिए नहीं दिखाई देती जबकि टीएमसी सरकार को जिताने में सबसे बड़ी भूमिका दलितों ने निभाई। इसलिए तृणमूल कांग्रेस को दलितों के लिए आरक्षण संविधानिक अनुपात में लागू करना चाहिए था। किंतु ऐसा नहीं हुआ और आज यहां दलित समाज और भी ज्यादा मुश्किल में है।

माननीय डॉ. उदित राज ने अपने संबोधन में बताया कि सभी दलितों को एक होकर अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के बैनर के नीचे काम करना चाहिए और संगठित होकर आगे की रूपरेखा में अपनी बड़ी भूमिका निभानी चाहिए।

पश्चिम बंगाल के प्रभारी व दिल्ली एस.सी., एस.टी. परिसंघ के सचिव, श्री सत्यनारायण जी ने अपने संबोधन में बंगाल के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं दलित समाज के सभी लोगों को माननीय डॉ. उदित राज के हाथ मजबूत करने के लिए अपील की । एकमात्र पूरे देश में माननीय डॉ. उदित राज दलितों के उत्थान व विकास और अधिकारों की लड़ाई रहे हैं। उन्होंने अपने लगभग एक वर्ष के कार्यकाल में दलित समाज से जुड़ी हुई सभी समस्याओं के समाधान हेतु संसद में सबसे अधिक आवाज उठाई। इस पर पश्चिम बंगाल के सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण व अन्य दलित समाज के लोगों ने तहेदिल से स्वागत किया और धन्यवाद दिया।

श्री सत्यनारायण जी ने बंगाल के सभी अधिकारी व कर्मचारियों से अनुरोध किया कि अखिल भारतीय परिसंघ को मजबूत करने के लिए हमेशा परिसंघ से जागरूक होने के लिए Whatsapp, facebook आदि का इस्तेमाल करना चाहिए और अपने आचार–विचार एक–दूसरे के साथ एक्सचेंज करने चाहिए। संबोधन में यह भी अवगत कराया कि परिसंघ के चौयरमेन माननीय डॉ. उदित राज का एक बहुत बड़ा सपना निजी क्षेत्र में आरक्षण नीति लागू कराना का उद्देश्य सर्वोपरि हैं। यह दलित समाज के उत्थान की एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। जिसमें हम सभी अधिकारीगण, कर्मचारिगण व निजी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारी व दलित समाज से जुड़े सभी साथियों को एक बैनर के नीचे भागीदारी होनी चाहिए और आने वाले एक वर्ष में इसके लिए हम सभी साथियों को 10 लाख परिसंघ की सदस्यता ग्रहण करनी चाहिए। इसके लिए हमें दिन–रात मेहनत और लगन से अपने काम में तेजी लाने की अपील की।

अंत में श्री सत्यनारायण जी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एस.सी, एस.टी. व ओबीसी कर्मचारी परिषद (पश्चिम बंगाल) के अध्यक्ष श्री कमल कृष्णा मंडल व स्वपन कुमार हलदर, सचिव, बंगाल सर्कल, श्री श्याम प्रकाश किलसन, मुख्य प्रबंधक, यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, अरुण कुमार हंसदा, राज्य सचिव, अखिल भारतीय परिसंघ, पश्चिम बंगाल, श्री रजत कुमार दास, महासचिव, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एस.सी, एस.टी, श्री प्रशान्त कुमार, मुख्य महाप्रबंधक, श्री विवेक सोनकर, अध्यक्ष, हावडा ख्रटीक समाज, श्री असीम कुमार बुरवा व अन्य गणमान्य अतिथियों एवं साथियों का आभार व्यक्त किया।

– सत्यनारायण
सचिव, अखिल भारतीय परिसंघ
(दिल्ली)

+++

दिल्ली देहात दलित पिछड़ा जनकल्याण मंच ने मनाई डॉ. अम्बेडकर जयंती

भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की 124 वीं जयंती पर दिल्ली देहात दलित पिछड़ा जनकल्याण मंच ने अनूसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के नेशनल चैयरमेन डॉ. उदित राज, सांसद (लोकसभा) के नेतृत्व में पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली पर स्टॉल लगाया। जिसका नेतृत्व जनकल्याण मंच के अध्यक्ष श्री सत्यानारायण एवं महासचिव श्री अशोक अहलावत द्वारा किया गया। स्टाल का उद्घाटन अनूसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के नेशनल चैयरमेन डॉ. उदित राज, सांसद (लोकसभा) ने किया। परिसंघ के नेशनल चैयरमेन डॉ. उदित राज ने पार्लियामेंट स्ट्रीट से दिल्ली देहात दलित पिछड़ा जनकल्याण मंच के सभी एस.सी./एस.टी.व पिछड़ा वर्ग के गरीब किसानों की हक की लड़ाई का आह्वान

जनकल्याण मंच की ओर डॉ. उदित राज जी का स्वागत करते हुए सत्यनारायण, दयाराम, भानु पूनिया, रविंद्र सिंह एवं अन्य पदाधिकारी

किया दिल्ली देहात के भूमिहीन किसानों को 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत जो खेती के लिए जमीन दी गई थी जो कि लगभग 38 वर्ष से लडाई चली आ रही हैं। सरकार द्वारा अभी तक उसका मालिकाना हक नहीं मिला है जबकि दिल्ली सरकार की मंत्रिमंडल की बैठक ने दिनांक 23/05/2013 स्वीकृति प्रदान की गई थी और पूर्ण रुप से लागू करने के लिए उप–राज्यपाल, दिल्ली सरकार द्वारा यह प्रस्ताव राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु भेजी गई थी। किंतु यह प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास अभी तक लंबित है। दिनांक 09/12/2014 को माननीय डॉ. उदित राज द्वारा यह मुद्दा पार्लियामेंट में भी उठाया गया।

दिल्ली देहात दलित पिछड़ा जनकल्याण मंच की कार्यकारिणी के सदस्यों ने माननीय डॉ. उदित राज से मुलाकात के दौरान बताया कि अनूसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के नेतृत्व में भूमिहीन किसानों के मालिकाना हक का मुद्दा प्रत्येक गांव–गांव में सदस्यता अभियान करके उठाया जाएगा। जिसका नेतृत्व श्री हरिद्वारी लाल, चैयरमेन, श्री सत्यानारायण, अध्यक्ष व महासचिव श्री अशोक अहलावत, श्री सतबीर सिंह पेचरवाल, उपाध्यक्ष, श्री राजेश अहलावत, सचिव, श्री मनोज अहलावत, कार्यालय सचिव, श्री मंगत राम, कोषाध्यक्ष व अन्य कार्यकारिणी के सदस्यों ने दिल्ली देहात दलित पिछड़ा जनकल्याण मंच और अनूसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के महासचिव श्री रविन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष श्री करम सिंह कर्मा, सचिव श्री भानु पुनिया, संगठन सचिव श्री दयाराम, कार्यालय सचिव श्री आर.एस. हंस और केप्टन मुकेश को नियुक्त किया गया है। दिनांक 10 मई, 2015 में गांव पपरावट, नजफगढ़, अहलावत भवन में मिटिंग बुलाई गई हैं। जिसमें दिल्ली देहात के सभी गांव से प्रमुख पदाधिकारी व सदस्यों को आमंत्रित किये गए है। जल्द ही भूमिहीन किसानों की लड़ाई जंतर–मंतर व पार्लियामेंट स्ट्रीट के दरवाजे तक पहुंचेगी।

–सत्यनारायण
अध्यक्ष,
दिल्ली देहात दलित पिछड़ा जनकल्याण मंच

+++

(पृष्ठ 4 का शेष)

UNSTARRED QUESTION (06 May, 2015)

Dr. Udit Raj (North West Delhi):

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state :

A) whether the Vice-Chancellor of University of Delhi has been found guilty of diverthing over Rs. 100 cr from the OBC expansion grant toward purchase of laptops distributed under the Four Year Undergraduate Programme (FYUP);

B) if so the details thereof;

C) whether the University Grants Commission's(UGC) Satyam committee was constituted by the Government in this regard and if so, the details and the finding thereof; and

D) Whether any investigation has been conducted by the Govrnment in this regard and if so, the action taken/being taken against those found guilty ?

ANSWER

MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SMT. SMRITI ZUBIN IRANI)

A) to D) A Show Cause Notice has been served on the Vice-Chancellor, University of Delhi in respect of certain irregularities, including purchase of laptops by diversion of funds received from UGC for implemntation of reservation policy for Other Backward Classes (OBC) on the basis of the Fact Finding Committee constituted by UGC under the Chairmanship of shri S.S. Sathyam.

अतारांकित प्रश्न (08 मई, 2015)

डॉ. उदित राज (उत्तर–पश्चिम दिल्ली) :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क) क्या अनुसूचित जाति उप–योजना (एस.सी.एस.पी.) और जनजाति/ उपयोजना (टी.एस.पी.) संबंधी दिशा–निर्देशें के अनुसार मजदूरी घटक, विशेषरूप से ग्रामीण रोजगार योजनाओं जैसे कि मनरेगा को एस.सी.एस.पी/टी.एस.पी. के तहत शामिल नहीं किया जाएगा, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है

ख) क्या उपर्युक्त दिशा–निर्देशों का उल्लंघन करते हुए गत दो वित्तीय वर्षो के दौरान एस.सी.एस.पी. और टी.एस.पी. के बजट से मनरेगा को निधियां आबंटित की गई है।

ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या करण है और

घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाया किए जा रहे है ?

उत्तर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना मंत्रालय तथा रक्षा राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह)

क) से घ) अनुसूचित जाति उपयोजना (एससीएसपी) और जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) के दिशानिर्देशों में उन स्कीमों के लिए योजना निधियां उद्दिष्ट करने की परिकल्पना की गई है जो क्रमशः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के व्यक्तियों, परिवारों और पर्यावासों को प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित करती है। वर्ष 2010 में जारी किए गए, पूर्ववर्ती योजना आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के लिए विशिष्ट उद्दिष्टीकरण (इयरमार्किंग) निर्धारित किया गया हैं जिसके अनुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय का एससीएसपी और टीएसपी के लिए योजना निधियों का क्रमशः25 और 17.50 उद्दिष्ट करने का दायित्व है। मनरेगा एक मांग संचलित स्कीम है और मनरेगाा के तहत निधियों की आवश्यकता और रोजगार का सृजन, कार्य की मांग पर निर्भर करता है और इसलिए मनरेगा में एससीएसपी और टीएसपी के तहत निधियों का कोई विशिष्ट उद्दिष्टीकरण नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त, मनरेगाा के तहत अ.जा/अ.ज.जा. की भागीदारी को बढ़ाने के लिए, की गई कुछ प्रमुख पहलें निम्नानुसार है।

कार्य हेतू मांग का अभिग्रहण करने के लिए अ.जा./अ.ज.जा. क्षेत्र पर विशेष ध्यान।

अ.जा/अ.ज.जा के लिए कार्यो के प्रावधान की विशेष समीक्षा।

अ.जा./अ.ज.जा तथा अन्य कमजोर समूहो को लिए व्यक्तिगत परिसम्पत्ति कार्यक्रम आरंभ करना ताकि धारणीय परिसम्पत्तियों का सृजन किया जा सके।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के परिवारों के स्वामित्व वाली भूमि के लिए सिंचाई सुविधा, बागवानी, बागान और भूमि विकास संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराना ।

आरक्षित वर्ग को नहीं मिली राहत, होगी पदावनति

आरक्षण के सहारे प्रोन्नति पाने वाले उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी निराशा हाथ लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोन्नति में आरक्षण समाप्त करने का फैसला पिछली तिथि से न लागू किए जाने की उनकी मांग ठुकरा दी है। कोर्ट ने आदेश में संशोधन और स्पष्टीकरण मांगने वाली आरक्षित वर्ग की अर्जी खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट से अर्जी खारिज होने के बाद आरक्षण का लाभ पाकर प्रोन्नत हुए कर्मचारियों की पदावनति निश्चित प्रतीत होती है क्योंकि प्रदेश सरकार पहले ही उनकी पदावनति का आदेश जारी कर चुकी है।

जस्टिस दीपक मिश्र व जस्टिस एस.ए बोबडे की पीठ ने गत शुक्रवार को अर्जी खारिज करते हुए कहा कि वे अर्जी पर सुनवाई के इच्छुक नहीं हैं। हालांकि, कोर्ट ने अर्जीकर्ताओं को कानून के मुताबिक उचित मंच पर जाने की छूट दी है। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने 27 अप्रैल, 2012 के फैसले में उत्तर प्रदेश में प्रोन्नति में आरक्षण और परिणामी वरिष्ठता देने के कानून को असंवैधानिक बताते हुए निरस्त कर दिया था। आदेश के मुताबिक उन लोगों को पदावनत किया जाना था, जिन्हें इस कानून का लाभ देकर प्रोन्नति और परिणामी वरिष्ठता दी गई थी। जब सरकार ने आरक्षण का लाभ पाकर प्रोन्नत हुए लोगों को पदावनत नहीं किया तो सिंचाई विभाग के तीन कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की। जिस पर कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया था। सरकार ने करीब डेढ़ साल बाद गत अप्रैल में कोर्ट को बताया कि कर्मचारियों को पदावनत करने का नीतिगत फैसला ले लिया गया है। इस बीच 30 मार्च को सरकार ने सिंचाई विभाग में कर्मचारियों की पदावनति का आदेश जारी कर दिया। जिससे बचने के लिए आरक्षित वर्ग के कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। गत शुक्रवार को आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों के वकील राकेश द्विवेदी ने सुप्रीम कोर्ट से 27 अप्रैल, 2012 का आदेश स्पष्ट करने का अनुरोध किया। द्विवेदी ने कहा कि कोर्ट का आदेश पिछली तिथि से लागू न माना जाए, बल्कि फैसले की तारीख से लागू माना जाए। यह भी कहा कि फैसले की तिथि तक आरक्षण का लाभ पाकर प्रोन्नत हो चुके कर्मचारियों की पदावनति न हो । लेकिन, तभी सामान्य वर्ग के कर्मचारियों की ओर से पेश वकील कुमार परिमल ने अर्जी का विरोध किया। परिमल ने कहा कि इस मामले में कोर्ट पुनर्विचार याचिका भी खारिज कर चुका है। इसके बाद मुख्य फैसले में बदलाव या स्पष्टीकरण नहीं मांगा जा सकता। परिमल ने अपनी दलील के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसले तमिलनाडु इलेक्टिसिटी बोर्ड बनाम एन राजू रेडियर का हवाला दिया। कोर्ट ने परिमल की ओर से पेश फैसला देखने के बाद अर्जी पर विचार करने से इन्कार कर दिया और आरक्षित वर्ग की अर्जी खारिज कर दी। मायावती सरकार ने 2007 में यूपी गवर्नमेंट सर्वेंट सीनियरिटी थर्ड एमेंडमेंट रूल में धारा 8 (क) जोड़ी थी। इसमें एससी एसटी को प्रोन्नति में आरक्षण और प्रोन्नति के साथ परिणामी वरिष्ठता का प्रावधान किया गया था। सरकार के इस फैसले के खिलाफ करीब 50 याचिकाएं इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में दाखिल हुईं और कुछ लोगों ने आदेश को हाई कोर्ट की प्रधान पीठ के समक्ष चुनौती दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की प्रधान पीठ ने अक्टूबर, 2010 को एससी एसटी को प्रोन्नति में परिणामी वरिष्ठता देने वाले रूल 8ए को संवैधानिक ठहराया। जबकि 4 जनवरी, 2011 को हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने इसी कानून को असंवैधानिक ठहराते हुए निरस्त कर दिया। हाई कोर्ट के इन फैसलों को उत्तर प्रदेश सरकार व यूपी पावर क०रपोरेशन ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने 27 अप्रैल, 2012 को प्रोन्नति में आरक्षण और परिणामी वरिष्ठता के उत्तर प्रदेश लोकसेवा (अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) कानून 1994 की धारा 3 (7) और उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक वरिष्ठता नियमावली 1991 के संशोधित नियम 8(क) को रद कर दिया था।माला दीक्षित, नई दिल्ली।आरक्षण के सहारे प्रोन्नति पाने वाले उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी निराशा हाथ लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोन्नति में आरक्षण समाप्त करने का फैसला पिछली तिथि से न लागू किए जाने की उनकी मांग ठुकरा दी है। कोर्ट ने आदेश में संशोधन और स्पष्टीकरण मांगने वाली आरक्षित वर्ग की अर्जी खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट से अर्जी खारिज होने के बाद आरक्षण का लाभ पाकर प्रोन्नत हुए कर्मचारियों की पदावनति निश्चित प्रतीत होती है क्योंकि प्रदेश सरकार पहले ही उनकी पदावनति का आदेश जारी कर चुकी है। 1जस्टिस दीपक मिश्र व जस्टिस एसए बोबडे की पीठ ने गत शुक्रवार को अर्जी खारिज करते हुए कहा कि वे अर्जी पर सुनवाई के इच्छुक नहीं हैं। हालांकि, कोर्ट ने अर्जीकर्ताओं को कानून के मुताबिक उचित मंच पर जाने की छूट दी है। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने 27 अप्रैल, 2012 के फैसले में उत्तर प्रदेश में प्रोन्नति में आरक्षण और परिणामी वरिष्ठता देने के कानून को असंवैधानिक बताते हुए निरस्त कर दिया था। आदेश के मुताबिक उन लोगों को पदावनत किया जाना था, जिन्हें इस कानून का लाभ देकर प्रोन्नति और परिणामी वरिष्ठता दी गई थी। जब सरकार ने आरक्षण का लाभ पाकर प्रोन्नत हुए लोगों को पदावनत नहीं किया तो सिंचाई विभाग के तीन कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की। जिस पर कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया था। सरकार ने करीब डेढ़ साल बाद गत अप्रैल में कोर्ट को बताया कि कर्मचारियों को पदावनत करने का नीतिगत फैसला ले लिया गया है। इस बीच 30 मार्च को सरकार ने सिंचाई विभाग में कर्मचारियों की पदावनति का आदेश जारी कर दिया। जिससे बचने के लिए आरक्षित वर्ग के कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। गत शुक्रवार को आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों के वकील राकेश द्विवेदी ने सुप्रीम कोर्ट से 27 अप्रैल, 2012 का आदेश स्पष्ट करने का अनुरोध किया। द्विवेदी ने कहा कि कोर्ट का आदेश पिछली तिथि से लागू न माना जाए, बल्कि फैसले की तारीख से लागू माना जाए। यह भी कहा कि फैसले की तिथि तक आरक्षण का लाभ पाकर प्रोन्नत हो चुके कर्मचारियों की पदावनति न हो । लेकिन, तभी सामान्य वर्ग के कर्मचारियों की ओर से पेश वकील कुमार परिमल ने अर्जी का विरोध किया। परिमल ने कहा कि इस मामले में कोर्ट पुनर्विचार याचिका भी खारिज कर चुका है। इसके बाद मुख्य फैसले में बदलाव या स्पष्टीकरण नहीं मांगा जा सकता। परिमल ने अपनी दलील के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसले तमिलनाडु इलेक्टिसिटी बोर्ड बनाम एन राजू रेडियर का हवाला दिया। कोर्ट ने परिमल की ओर से पेश फैसला देखने के बाद अर्जी पर विचार करने से इन्कार कर दिया और आरक्षित वर्ग की अर्जी खारिज कर दी। मायावती सरकार ने 2007 में यूपी गवर्नमेंट सर्वेंट सीनियरिटी थर्ड एमेंडमेंट रूल में धारा 8 (क) जोड़ी थी। इसमें एससी एसटी को प्रोन्नति में आरक्षण और प्रोन्नति के साथ परिणामी वरिष्ठता का प्रावधान किया गया था। सरकार के इस फैसले के खिलाफ करीब 50 याचिकाएं इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में दाखिल हुईं और कुछ लोगों ने आदेश को हाई कोर्ट की प्रधान पीठ के समक्ष चुनौती दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की प्रधान पीठ ने अक्टूबर, 2010 को एससी एसटी को प्रोन्नति में परिणामी वरिष्ठता देने वाले रूल 8ए को संवैधानिक ठहराया। जबकि 4 जनवरी, 2011 को हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने इसी कानून को असंवैधानिक ठहराते हुए निरस्त कर दिया। हाई कोर्ट के इन फैसलों को उत्तर प्रदेश सरकार व यूपी पावर क०रपोरेशन ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने 27 अप्रैल, 2012 को प्रोन्नति में आरक्षण और परिणामी वरिष्ठता के उत्तर प्रदेश लोकसेवा (अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) कानून 1994 की धारा 3 (7) और उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक वरिष्ठता नियमावली 1991 के संशोधित नियम 8(क) को रद कर दिया था।

> अगर मेरा साथ उ.प्र. के कर्मचारियों ने दिया होता तो पदावनति होने की नौबत ही न आती। हमने ही अनुसूचित जाति/जन जाति .संठनों का अखिल भारतीय परिसं ?ा के सं ?र्ष के माध्यम से सन् 2001 में 85वां संवैधानिक संशोधन कराया था ताकि पदोन्नति में आर{ा जारी रहे। न केवल सड़क पर लड़े बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने जबर्दस्त पैरवी की। 2006 में ज़ाराज के नाम से सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की पीठ के सम{ 85वें संवैधानिक संशोधन की वैधता पर मुकदमा चला और हमने केन्द्र सरकार पर दबाव बनाकर निजी अधिवक्ता जैसे डॉ– के– परासरन, डॉ0 मैरियार पूथम ,वं सुबाराव से पैरवी करायी और अंत में जीत हुई। परिसं ?ा की तरफ से जो पैसा .ला सो तो था ही सरकार से चालीस लाख रूपया .भुतान करवाया था। अफसोस है कि दलित मुख्यमंत्री होते हु, भी उ.प्र. की सरकार ने चार साल तक इसी मुकदमें की पैरवी नहीं की और अंत में 4 जनवरी, 2011 को लखनऊ हाई कोर्ट ने हरा दिया। उस समय मैं लखनऊ जाकर कर्मचारियों का आवाहन किया लेकिन स्वार्थवश या जातीय भावना के कार.ा साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से परिसं ?ा इस मुद्दे को मजबूती से लड़ न सका। दूसरे लोगें }ारा बड़ी–बड़ी रैलियां इस मुद्दे के नाम पर कीं यीं, जिसका निशाना लखनऊ हाई कोर्ट के साथ–साथ मैं भी हुआ करता था। अभी भी कर्मचारी–अधिकारी ,वं सामाजिक लो साथ दें तो भी इसका हल निकाला जा सकता है। संसद का जितना उपयो किया जा सकता है, मेरी तरफ से चूक होती नहीं लेकिन समाज कितना साथ देता है ? 10 साल तक मैं बेबुनियाद आरोपों को झेलता रहा कि उनकी बहन जी को कमजोर करने के लि, कार्य कर रहा हूं। कभी भाजपा का ,जेंट तो कभी क्रांस का बताकर बदनाम करते रहे।
>
> – डॉ. उदित राज

नियमावली 1991 के संशोधित नियम 8(क) को रद कर दिया था।माला दीक्षित, नई दिल्ली।आरक्षण के सहारे प्रोन्नति पाने वाले उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी निराशा हाथ लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोन्नति में आरक्षण समाप्त करने का फैसला पिछली तिथि से न लागू किए जाने की उनकी मांग ठुकरा दी है। कोर्ट ने आदेश में संशोधन और स्पष्टीकरण मांगने वाली आरक्षित वर्ग की अर्जी खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट से अर्जी खारिज होने के बाद आरक्षण का लाभ पाकर प्रोन्नत हुए कर्मचारियों की पदावनति निश्चित प्रतीत होती है क्योंकि प्रदेश सरकार पहले ही उनकी पदावनति का आदेश जारी कर चुकी है। 1जस्टिस दीपक मिश्र व जस्टिस एसए बोबडे की पीठ ने गत शुक्रवार को अर्जी खारिज करते हुए कहा कि वे अर्जी पर सुनवाई के इच्छुक नहीं हैं। हालांकि, कोर्ट ने अर्जीकर्ताओं को कानून के मुताबिक उचित मंच पर जाने की छूट दी है। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने 27 अप्रैल, 2012 के फैसले में उत्तर प्रदेश में प्रोन्नति में आरक्षण और परिणामी वरिष्ठता देने के कानून को असंवैधानिक बताते हुए निरस्त कर दिया था। आदेश के मुताबिक उन लोगों को पदावनत किया जाना था, जिन्हें इस कानून का लाभ देकर प्रोन्नति और परिणामी वरिष्ठता दी गई थी। जब सरकार ने आरक्षण का लाभ पाकर प्रोन्नत हुए लोगों को पदावनत नहीं किया तो सिंचाई विभाग के तीन कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की। जिस पर कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया था। सरकार ने करीब डेढ़ साल बाद गत अप्रैल में कोर्ट को बताया कि कर्मचारियों को पदावनत करने का नीतिगत फैसला ले लिया गया है। इस बीच 30 मार्च को सरकार ने सिंचाई विभाग में कर्मचारियों की पदावनति का आदेश जारी कर दिया। जिससे बचने के लिए आरक्षित वर्ग के कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। गत शुक्रवार को आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों के वकील राकेश द्विवेदी ने सुप्रीम कोर्ट से 27 अप्रैल, 2012 का आदेश स्पष्ट करने का अनुरोध किया। द्विवेदी ने कहा कि कोर्ट का आदेश पिछली तिथि से लागू न माना जाए, बल्कि फैसले की तारीख से लागू माना जाए। यह भी कहा कि फैसले की तिथि तक आरक्षण का लाभ पाकर प्रोन्नत हो चुके कर्मचारियों की पदावनति न हो । लेकिन, तभी सामान्य वर्ग के कर्मचारियों की ओर से पेश वकील कुमार परिमल ने अर्जी का विरोध किया। परिमल ने कहा कि इस मामले में कोर्ट पुनर्विचार याचिका भी खारिज कर चुका है। इसके बाद मुख्य फैसले में बदलाव या स्पष्टीकरण नहीं मांगा जा सकता। परिमल ने अपनी दलील के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसले तमिलनाडु इलेक्टिसिटी बोर्ड बनाम एन राजू रेडियर का हवाला दिया। कोर्ट ने परिमल की ओर से पेश फैसला देखने के बाद अर्जी पर विचार करने से इन्कार कर दिया और आरक्षित वर्ग की अर्जी खारिज कर दी। मायावती सरकार ने 2007 में यूपी गवर्नमेंट सर्वेंट सीनियरिटी थर्ड एमेंडमेंट रूल में धारा 8 (क) जोड़ी थी। इसमें एससी एसटी को प्रोन्नति में आरक्षण और प्रोन्नति के साथ परिणामी वरिष्ठता का प्रावधान किया गया था। सरकार के इस फैसले के खिलाफ करीब 50 याचिकाएं इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में दाखिल हुईं और कुछ लोगों ने आदेश को हाई कोर्ट की प्रधान पीठ के समक्ष चुनौती दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की प्रधान पीठ ने अक्टूबर, 2010 को एससी एसटी को प्रोन्नति में परिणामी वरिष्ठता देने वाले रूल 8ए को संवैधानिक ठहराया। जबकि 4 जनवरी, 2011 को हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने इसी कानून को असंवैधानिक ठहराते हुए निरस्त कर दिया। हाई कोर्ट के इन फैसलों को उत्तर प्रदेश सरकार व यूपी पावर क०रपोरेशन ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने 27 अप्रैल, 2012 को प्रोन्नति में आरक्षण और परिणामी वरिष्ठता के उत्तर प्रदेश लोकसेवा (अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) कानून 1994 की धारा 3 (7) और उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक वरिष्ठता नियमावली 1991 के संशोधित नियम 8(क) को रद कर दिया था।

– दैनिक जागरण (12 माई 2015) से सभार

+++

Dr. Udit Raj visited Assam University Defended Dalit-Bahujan Caste Reservation in 124th Dr. B.R Ambedkar Memorial Lecture

Addressing an overwhelmingly august body of intellectuals, students, staff and pragmatist, young and dynamic people, Dr. Udit Raj, National Chairman, Confederation of SC, ST and OBC Welfare Association, New Delhi and Member of Parliament (Lok Sabha) as well an iconic messiah of the community in his impromptu deliberation at seminar hall of Assam University, Silchar unequivocally vouched upon burning issues and problems historically encountered by millions of downtrodden, deprived, marginalized and socially excluded sections in India. His lecture was a fusion of academics, politics and contextual governance pattern in India vis-a-vis global competitive scenario strived to promote and locate dalit-bahujan to live in dignity. Dr. Raj too overtly criticized those who power-monger, hegemonic forces, who embezzle to clique and camouflage hierarchical yet broad trichotomous Indian social reality gender, race and reservations suiting to politics of convenience. He applauded altruistic and revolutionary role played by Dr. B.R. Ambedkar to infuse logico - rational consciousness and structurally de-stigmatize dalit-bahujan to fight against obnoxious authoritative-hierarchical stereotype in India. Dr. Udit Raj in course of his further candid, emphatic eloquence reiterated aggrandizement of reservation will help usher in dalit - bahujan emancipation, empowerment and futuristic goal attainment. According to testament of Dr. Udit Raj, SC, ST and OBC will able to achieve renaissance and attain inclusive development and social transformation if Dr. B.R. Ambedkar's aptly given 'alternative model' is unwittingly accepted by them in totality to bolster identity, self-dignity, democracy and nation - building.

Dr. Udit Raj was invited by Assam University SC and ST Welfare Association (AUSEWA) to deliver 124th birth anniversary memorial lecture of Dr. B.R.Ambedkar. Amidst others, Vice Chancellor, Registrar of the University and co-operative minister of Assam, Silchar Municipal Board Chairman, former MP and minister including other dignitaries present in the dais also spoke on the occasion harping upon valuable role and contribution made by Dr. B.R. Ambedkar.

-Nirakar Mallick

+++

Dr. Udit Raj, Member of Parliament inaugurated National Seminar on "Dr. B.R. Ambedkar and Dr. Babu Jagjivan Ram's Organized at CSIR-IICT, Hyderabad during 8th and 9th of May 2015.

Dr. Udit Raj, Member of Parliament and Chairman of All India Confederation of SC/ST and OBCs Organisation has inaugurated the national seminar on "Dr. B.R. Ambedkar and Dr. Babu Jagjivan Ram's Views. On promoting Science and Technology and Implementation of Reservation Policies" organized at CSIR-IICT, Hyderabad during 8th and 9th of May 2015. The program was convened by Mr.N.Ramesh, President of CSIR-IICT SC/ST Employees Welfare Association. About 200 delegates from Research and Development organisation across the country have participated in the seminar and have recalled the contribution and vision of Dr.B.R. Ambedkar for the weaker sections of society. Smt. P.M. Kamlamma, Member of SC Commission, Guest of Honour spoke about the role of Dr. Babu Jagjivan Ram in implementation of reservation policy, and hidden potential knowledge of SC/ST community has been deliberated in the seminar. An interactive session with Liaison Officers and Administrative Officers from various CSIR laboratories has been chaired by Honourable MP and Member of National Commission for SC. Number of technical papers have been presented by the scientist and technocrats from across the country. Also several eminent academicians, bureaucrats, scientists, Shri. K. Maheshwar Raj, Shri Y.K. Anand including Prof Mutaiah, Dr. Parveen Kumar, IPS, Shri N.V.S. Prabhakar, MLA from Uppal constituency and Dr. Ahmad Kamal, Director, CSIR-IICT, have addressed the objectives of the seminar.

Dr. Udit Raj at National Seminar on Dr. B.R. Ambedkar and Dr. Babu Jagjivan

+++

Judge threatens Madras HC chif justice with contempt

Unprecedented Crisis Forces Court To Rush to SC For Help

The high court Judge, a Dalit, has also threatened to slap a case against the chief justice under the SC/ST Atrocities (Prevention) Act. He has also sought a CBI probe into the alleged bogus educational qualifications of another judge

Justice CS Karnan has plunged the madras high court into an unprecedented crisis. A Judge of the high court Justice Karnan has threatend contempt of court proceedings against Madras high court Chief Justice Sanjay K Kaul, accusing him of interfering in his judicial work, and sought a CBi probe into the alleged forged educational certificates of another judge of the HC.

Apart from this, justice Karnan threatened to direct the National SC/ST Commission to initiate a detailed inquiry against Justice Kaul for allegedly harassing him, a Dalit. He has also threatened to slap a case against the Chief Justice under the stringent provision of the SC/ST Atrocities (Prevention) Act.

The high court, through its registrar general, has rushed to the Supreme Court. It has accused Karnan of judicial indiscipline since he has challenged the authority of the Chief Justice, and has passed orders without jurisiction and shown lack of self restraint. On Monday, a bench headed by Chief justice of India HL Dattu will hear the petition seeking stay of Justice Karnan's orders.

It all started with the HC Chief Justice Consttuting the Recruitment Committee comprising Justices V Dhanapaialn, R Sudhakar, D Hariparanthaman, N Kirubakaran and R Mala to interview candidetes for selection as civill Judges. The Tamil Nadu Public Service Commission Chariman and other officers be part of the committee and it was scheduled to hold oral interviews of candidates from April 15 to April 21.

On April 16, Justice Karnan intiated suo motu proceedings and passed a judicial order questioning Justice Dhanapalan's inclusion in the committee. He alleged that the latter hed produced "bogus educational qulifications" about his bachelors and masters degrees in law, and had no locus standi to conduct the in terviewa.

He also alleged that inclusion of Justices Sudhakar and Hariparanthaman, who hailed from the same community besides being relatives, would send a wrong singnal about the fairness of the selection process. He went on to stay the CJ's administrative order and restrained the Public Service Commission chairman from conducting the interviews of candidates for civil judge posts.

- Courtesy Times of India

The Chief Justice of India has refused to obey the Constitution. Politicians are silent but what about SC/ST/OBC's social organizations? They could take up it on the streets in the country that is judiciary above the Constitution? As per article 124, it is the executive which has primacy in appointing the judges but the Supreme Court by its own judgment has taken over power of appointing the judges. Modi Government took right stand to correct it by amending the constitution and now national judicial appointment commission will appoint the judges. Now we can expect fare chances for every community and caste to find the place in the High Courts and Supreme Court. Surprisingly the whole nation is silent when the Chief Justice of India refused to become part of selection commission in searching the name of two eminent persons on the ground that till the amendment is not validated by Supreme Court, he will not be its part. It suits to the elites and upper castes but why SC, SC, Minorities and OBCs are not coming forward to protect it. - Dr. Udit Raj

Justice Karnan's Order was placed before divison bench

New Delhi : In order to control the mal-administration of My Lord Chief Justice, I am passing this suo motu judicial order in the interest of justice invoking Article 226 of the Constitution to restore the confidence in the Madras. Hight Court and confidence with the general public, the said and ordered that two judges must be from minority communities one a Muslim and another a Christian to give fair representation to all communities in the Recruitment Committee.

On April 17, Justice karnan's suo motu order was placed before a division bench of Justices Tamilvanan and CT Selvam, which stayed the April 16 oreder. Despite division bench order Justice karnan directed the Registry to place the matter before him on the judicial side on April 30. On that day, he reiterated his earlier order and threatened the Chief Justice with contempt of court proceedings. " This court requests My Lord the Chief Justice to extend his cooperation without any interference with my Court's proceedings and its Judicial power in order to maintain decorum of the Court and avoid an unhealthy practice of judiciary in the interest of the general public. My deep request to the Chief justice is to avoid ego and stop acting in an autocratic manner to protect democracy.' Justice Karnan said in his order. Ordering status quo on interviews to be conducted by the Publice Service Commission, Justice Karnan also threw in the dalit Card.

- Courtesy Time of India

+++

VOICE OF BUDDHA

Publisher : Dr. UDIT RAJ (RAM RAJ), Chairman - Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42

● Year : 18 ● Issue 12 ● Fortnightly ● Bi-lingual ● Total Pages 8 ● 1 to 15 May, 2015

THE PRIME MINISTER ADDRESSES THE BUDDH PURNIMA JAYANTI CELEBRATION

CONFEDERATION AND LORD BUDDHA CLUB PARTICIPATION THE MOST

New Delhi, 4 May, 2015: International Buddh Purnima Divas was celebrated at Talkatora Stadium, New Delhi on 4th May, 2015 from 9 a.m. The main organizers of the event were Shri Kiren Rijiju, Minister of State for Home; Dr. Udit Raj, National Chairman of Lord Buddha Club and Shri Bhante Lama Lobsang. With the cooperation of Ministry of Culture, Government of India, it was the first-ever event of its kind which was also attended by Dr. Mahesh Sharma, Minister of Culture. Shri Narendra Modi, Prime Minister addressed this programme. Shri Ramdas Athawale, MP was also present.

Under the stewardship of Dr. Udit Raj, leaders of All India Confederation of SC/ST Organizations and Lord Buddha Club started gathering at Talkatora Stadium right from 8a.m. in large numbers. The stadium was full even before the start of the programme at 9a.m. and thousands of people had to stand in the Pandal outside the Indoor stadium. Many of them could not enter the stadium due to heavy rush. Around 9a.m. the Prime Minister reached the venue and inaugurated the function by lighting the lamp before the statue of Bhagwan Buddh. Thereafter a silence was observed in memory of those killed in the recent earthquake in Nepal and some parts of India.

While addressing the participants, Dr. Udit Raj ji informed them for the first time the Government of India is celebrating the event. Before this attempt was made to celebrate the event once or twice but it cannot be said that Government of India did so. He thanked the Hon'ble Prime Minster for this on behalf of Buddha's disciples. He said that our land is the genesis of 'Boddh Dharma' which prospered here and is now being revived. According to philosophy, there is reason for sorrow; there is solution for the reason, for which he provided eight principles known as 'Ashtangik' principles. There is sorrow in our society because of poverty, disparity, declining number of girls, war, etc. There are reasons for all these which should be unearthed. Only then we will be able to find their solution. This was the message given by Gautam Buddha. Dr. Ambedkar also

struggled throughout his life but in the end adopted Bhodh Dharma. He visualized a Buddhist India. He said there is are need to eliminate disparity, discrimination and casteism and for this we have to make an effort. If these evils eliminated, our country can become powerful, super power and happy. This was the motive behind this thinking, and no casteism was involved. If he espoused the cause of Dalits, he did so being an Indian and not because of being a Dalit. Today if Government of India is trying to send the message of Buddha, it is with a view to promote our economic policy, digital India, etc. If any religion or code of conduct makes our lives happier, it must be followed. The Jayanti which the Government of India is celebrating today will have far-reaching impacts. Our political relations will improve with those countries which recognize Bhodh Dharma. By developing tourism spots related to Bhodh Dharma, we will earn foreign exchange. He thanked Minister of State Shri Kiren Rijiju and Shri Bhante Lama Lobsang for organizing this programme in a grand manner. He also expressed his gratitude to the leaders of All India Confederation of SC/ST Organizations and Lord Buddha Club for participating in the programme.

Shri Kiren Rijiju, Minister of State for Home welcomed the Hon'ble Prime Minister and all the guests and participants and said with the participation of Hon'ble Prime Minister, importance of Buddh Purnima Day celebrations has increased. He said the steps to develop Boddh sites in the country after taking oath of the Prime Minister have been discussed not only in India but the world over. He said Buddha Jayanti was celebrated by the Government of India in 1956 for the first time. After that year-long 2550th Mahaparinirvan Divas was celebrated which concluded in Kushinagar. From now efforts will be made to celebrate this event annually.

Addressing the audience, Prime Minister Narendra Modi said Bhagwan Buddh was born in Lumbini, got enlightenment in Boddh Gaya and Nirvana in Kushinagar. It is a coincidence that all the three events of his life happened on the same day. He wondered if any school of Thought can become so strong in one's lifetime itself. If we look at any stream of thought throughout the world, it has not become so effusive and so effective in the lifetime of its enunciator. It might have spread afterwards through his disciples or through the State. But the name which spread throughout the world during his lifetime is the name of Buddha whose gospels were spread on a wider part of the lands and he became the centre of faith and devotion. There was something in his gospels which was accepted by the world so quickly. The world does not accept any concept without examining it thoroughly. It was a time of disbelievers. To talk of giving up, morale, love and compassion and social change was a misnomer. People adjudged his thoughts and found that there was way to enlightenment. The issues we are discussing today, Bhagwan Buddha touched upon 2,500 years ago. At this point of time quoting some lines from the book presented to him on this occasion, he said to talk of future and the other world without welfare of the people is unimaginable. Leave aside gaining happiness after death; you cannot gain happiness in this life. Violence has reached its climax in the present. A big part of the world is full of blood. So where from came the message of compassion? Who will give the message of love in this psyche of killing? It is only the philosophy of Lord Buddha which the world will accept readily. Therefore, there is only one way of Buddhism for getting out of the troubles which the world is passing though today. He said Baba Saheb Dr. Ambedkar gave this mantra to the world. Therefore, whenever you talk of Buddha, think of Buddham Sharanam Gachhami, Sangham Sharanam Gachhami, Sangham Sharanam Gachhami, Dhamam Sharanam Gachhami.

Philosophy of Gautam Buddha believes in unity. This is the major message given by Bhagwan Buddha for the development of man. If one studies all the management books, scroll religious literature, but when the question of man's development comes, and if all these scriptures are kept in a scale, the side of three principles of Buddha shall be heavier. That principle of Bhagwan Buddha is "Up Deepo Bhava" There is no other way above these principles for man's development. Bhagwan Budha has discussed Ashtang. I believe we cannot understand Buddha without knowing and getting Ashtang which are right resolve, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness and right concentration.

177 countries of the world are supporting to celebrate Yoga Divas. In the history of United Nations no other issue has gained so much support in such a short time of. He said that he had great association with Buddha. There was a big hostel and Shiksha-Diksha was given there which influenced me. Wherever I lived you will find a Buddha idol in the premises. I dream of making a Boddh Vihar where all the relics of Buddha may be kept and this place should become the source of inspiration for all. On the occasion of Buddh Purnima, I got the opportunity of sitting on the lotus feet of Bhagwan Buddha for which I am indebted to you all. I pray earthquake victims of Nepal may get relief and the nation may come out of this tragedy.

Bhante Lama Lobsang expressed his gratitude to all in the end.

+++

Publisher, Printer and Editor - Dr. UDIT RAJ (FORMERLY KNOWN AS RAM RAJ), on behalf of Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42, Telefax:23354843, Printed at Sanjay Printing Works, WZ-4A, Basai Road, New Delhi.
Website : www.uditraj.com E-mail: dr.uditraj@gmail.com Computer typesetting by C. L. Maurya